2. मूल्य वर्धित नारियल उत्पादों के लिए बिक्री आउटलेट या कियोस्क की स्थापना हेतु अवसंरचना समर्थन

इस योजना में नारियल से निर्मित सभी प्रकार के गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों की बिक्री के लिए नारियल कियोस्क/बिक्री आउटलेट की स्थापना हेतु समर्थन देने की परिकल्पना की गई है। **ब्रांडेड मूल्य वर्धित नारियल उत्पादों के निर्माताओं और नाविबो के साथ पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)** को परियोजना आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

गैर-परंपरागत राज्यों में एफपीओ और ब्रांडेड निर्माताओं के अलावा, विपणन में अनुभवी किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों और विपणन संघों जैसी पंजीकृत कानूनी संस्थाओं पर भी नारियल कियोस्क/बिक्री आउटलेटों की स्थापना के लिए विचार किया जा सकता है।

निर्माताओं/एफपीओ/एफपीसी/सहकारिताओं/विपणन संघों को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें कियोस्क का स्थान, आउटलेट की जगह और संरचना, नारियल उत्पादों का स्रोत, आउटलेट के संचालन और अनुवीक्षण प्रणाली, अपेक्षित दैनिक बिक्री और परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का उल्लेख हो।

योजना के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदन के बाद आवेदक को प्रस्तावित गतिविधियां शुरू करनी होंगी तथा मूल बिलों और वाउचरों के साथ संपूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
2. बोर्ड अवसंरचना, फर्नीचर, अलमारी, रैक, साइनेज एवं रेफ्रिजरेटर की खरीद, विद्युत स्थापना आदि पर खर्च की गई लागत का 50% प्रतिपूर्ति करेगा, जो सहायिकी के रूप में अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक सीमित होगा।
3. आवेदक को परियोजना के कार्यान्वयन के बाद दावा प्रस्तुत करना होगा। नाविबो निधि विमोचन से पहले निरीक्षण करेगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि परियोजना का कार्यान्वयन प्रस्ताव में बताए अनुसार हुआ है या नहीं।
4. निर्माताओं/एफपीओ/एफपीसी/सहकारिताओं/विपणन संघों को सभी सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर मूल बिल और वाउचर (टैन/पैन नंबर और छठे महीने तक के मासिक बिक्री रिकॉर्ड सहित) प्रस्तुत करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।

नारियल कियोस्क/नारियल प्वाइंट में निम्नलिखित मानदंडें होने चाहिए:

1. नारियल कियोस्क/आउटलेट के स्वामित्व की प्रकृति: आवेदक के स्वामित्व में होनी चाहिए, या <u>कम से कम 3 वर्ष</u> की अवधि के लिए किराए या पट्टे पर होनी चाहिए।
2. नारियल कियोस्क/आउटलेट का न्यूनतम क्षेत्रफल 60 वर्ग फीट होना चाहिए।

3. यह पक्का या आधा पक्का संरचना होनी चाहिए।
4. इसमें पक्का /आधा पक्का साइन बोर्ड (नाविबो से सहायता सूचित करते हुए) होना चाहिए जो जनता को ठीक से दिखाई दे।
5. नारियल के विभिन्न उत्पाद कियोस्क में उपलब्ध कराए जाने चाहिए जैसे विर्जिन नारियल तेल, डेसिकेटड नारियल, नारियल चिप्स, नारियल दूध, डाब जल, नारियल तेल, नीरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद, नारियल की लकड़ी और नारियल खेपड़ी आधारित उत्पाद आदि।
6. बिक्री के लिए उपलब्ध नारियल उत्पादों के पोस्टर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
7. उत्पादों के उचित प्रदर्शन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
8. उत्पादों की सूची तथा उनकी कीमतें प्रदर्शित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
9. दैनिक संव्यवहार के उचित लेखा-जोखा और बिल के लिए रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए तथा इसे नाविबो अधिकारियों को उनके दौरे के दौरान किसी भी समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

<u>आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:</u>

1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
2) पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र
3) स्थान मैप
4) आवेदक के स्वामित्व वाली भूमि के मामले में भूमि कर रसीद / पार्टियों के बीच किराया या पट्टा करार।
5) उत्पादों को मंगाने के लिए की गई व्यवस्था
6) कियोस्क परिचालन के लिए श्रमशक्ति के लिए की गई व्यवस्था।
7) निर्माताओं के मामले में ब्रांड नाम का प्रमाण
8) उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए प्रमाण - ब्रांड पंजीकरण ब्यौरा और ब्रांड नाम के साथ पैक किए गए उत्पादों के फोटोग्रैफ (ब्रांडेड निर्माताओं के लिए)
9) विपणन अनुभव का प्रमाण- पिछले वर्ष के दौरान किए गए संव्यवहार का ब्यौरा मात्रा और मूल्य में (*गैर-पारंपरिक राज्यों में एफपीसी/सहकारी समितियों/विपणन संघों के लिए*)

<u>दावे के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:</u>

1) व्यय का प्रमाणित ब्यौरा
2) मूल बिल (जीएसटी बिल)
3) कियोस्क का कार्य शुरू करने का फोटोग्रैफ
4) आवेदक के नाम पर बैंक खाते का ब्यौरा

<u>अन्य दस्तावेज़:</u>

कियोस्क के चालू हो जाने पर मासिक बिक्री संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत करना होगा।

नाविबो द्वारा निधि विमोचन की प्रक्रिया:

उपयुक्त आवेदकों की पहचान हो जाने के बाद आवेदनों को यह सुनिश्चित करके प्रशासनिक अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाय कि प्रस्ताव *कम से कम 60 वर्ग फीट के फर्श क्षेत्रफल वाले कियोस्क के लिए है, जो आवेदक के स्वामित्व में है/कम से कम 3 वर्षों के लिए किराए या पट्टे पर है, अच्छी दृश्यता और पहुंच वाले स्थान पर है, संरचना पक्का /आधा पक्का हो और नारियल उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए न्यूनतम आवश्यक सामान -* फर्नीचर, अलमारियाँ, रैक, उपकरण आदि हो। आवेदक के पास *नारियल उत्पाद मंगाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा इकाई की आर्थिक सुस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दैनिक बिक्री करने में सक्षम होना चाहिए; तथा उसके पास कियोस्क के संचालन और दैनिक आपूर्ति/बिक्री के अनुवीक्षण के लिए न्यूनतम कर्मचारी भी होने चाहिए।*

एक बार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने पर, उसीको सूचित करते हुए कंपनी से संरचना पूरी करने और उसे चालू करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। कियोस्क चालू हो जाने पर कंपनी को संबंधित इकाई कार्यालय को सूचित करना चाहिए। दावा *व्यय के सहायक बिलों (खरीदे गए माल के लिए जीएसटी बिल)* के साथ प्रमाणित व्यय विवरणी से भी प्राप्त किया जाए। दावा प्राप्त होने पर इकाई कार्यालय इकाई का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट तथा सिफारिशों के साथ दावे को मुख्यालय को भेजेगा। निरीक्षण रिपोर्ट में कियोस्क के शुरू होने की तारीख दर्शाई जानी चाहिए।

तदुपरांत, बिक्री संबंधी अभिलेख (प्रारूप संलग्न) भी मासिक आधार पर प्राप्त किया जाना है।

कंपनी को प्रतिपूर्ति पर *6 महीने तक* के बिक्री अभिलेख प्राप्त होने पर विचार की जाएगी।

****